(आईएसओ 9001-2015 द्वारा प्रमाणित)

BF VISION

खंड संख्या 16

अंक संख्या 2

सितम्बर, 2023


पृष्ठों की संख्या - 9

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।



"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/िकए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"



मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति की मुख्य बातें (8 से 10 अगस्त, 2023 तक)

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 8 से 10 अगस्त, 2023 तक आयोजित हुई। इस बैठक की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के अधीन नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर 6.50% पर अपरिवर्तित रखी गई।
- स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 6.25% पर अपरिवर्तित रखी गई।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर दोनों ही 6.75% पर अपरिवर्तित रखी गई।
- वृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुये ध्यान का केन्द्रबिन्दु निभाव सुविधा (accommodation) रही, ताकि मुद्रास्फीति क्रिमिक रूप से लक्ष्य के साथ संरेखित रहे।
- मई, 2023 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) 5.2% विस्तारित हुआ।
- जून, 2023 में मुख्य उद्योगों के उत्पादन में 8.2% की वृद्धि दर्ज हुई।
- मुख्यत: बनस्पितयों, अंडों, मांस, मछली, अनाजों, दालों एवं मसालों की बढ़ती कीमतों के कारण सुर्खियों में आई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति मई के 4.3% से बढ़कर जून, में 4.8% हो गई।
- वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 5.4% है, जो 2री तिमाही में 6.2%, 3री तिमाही में 5.7% और 4थी तिमाही में 5.2% रहेगी।
- बैंक ऋण में 19 मई, 2023 के दिन के 15.4% के मुक़ाबले 28 जुलाई, 2023 के दिन वर्षानुवर्ष 14.7% की वृद्धि दर्ज हुई।

सेबी ने कुछेक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए प्रकटन दिशानिर्देश अनिवार्य किए

किसी एकल कॉरपोरेट समूह में प्रबंधनाधीन आस्ति के तहत अपनी इक्विटी के 50% से अधिक रखने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) तथा उनके साथ ही भारतीय इक्विटी बाज़ारों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल धारित राशि रखने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा बेहतर पारदर्शिता के लिए वर्धित प्रकटन दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। इनमें स्वामित्व एवं आर्थिक हितों से संबन्धित विवरणों और उनके साथ ही संशोधित पात्रता मानदंडों के अनुपालन का समावेश है। ऐसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, को स्वामित्व, आर्थिक हित एवं नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों के संबंध में सूचना या दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे।

सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से कॉरपोरेट बाँड़ों के क्रय-विक्रय (trade) का 10% भाव/उद्धरण (quotes) हेतु अनुरोध के माध्यम से करने के लिए कहा

अक्तूबर, 2023 से सभी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए गौण बाजार में उनके द्वारा किए जाने वाले कारपोरेट बाँड़ों के क्रय-विक्रय का कम से कम 10% भाव/उद्धरण हेतु अनुरोध (RFQ) प्लेटफार्म के माध्यम से करना आवश्यक होगा।

अब तक इस प्रकार के क्रय-विक्रय/व्यापार का अधिकांश काउंटर पर किए जाने वाले क्रय-विक्रय (trade) के जरिये किया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप बहुत सारी अपारदर्शिता (opacity) हुआ करती थी।

भाव/उद्धरण हेतु अनुरोध (RFQ) की शुरूआत शेयर बाज़ारों द्वारा 2020 में ऋणगत (debt) प्रतिभूतियों के लिए एक समर्पित प्लेटफार्म के रूप में की गई थी। यह क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए एकल अंतरापृष्ठ (interface) उपलब्ध कराता है, जिससे एक केंद्रीकृत ऑनलाइन क्रय-विक्रय प्लेटफार्म पर बहुपक्षीय परक्रामण (negotiation) की सुविधा प्राप्त होती है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भाव/उद्धरण हेतु अनुरोध प्लेटफार्म पर क्रय-विक्रय करने हेतु प्रोत्साहित करने के अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पारस्परिक निधियों, वैकल्पिक निवेश निधियों और अन्य सहभागियों के लिए ऐसी ही आरंभिक (threshold) सुविधाओं की शुरूआत की है।



बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

आगामी वर्ष से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित ऋणदाताओं को दंडात्मक प्रभारों के संबंध में नए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा

1 जनवरी, 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंकिंग कंपनियों को दंडात्मक प्रभारों तथा उनमें वसूल की जाने वाली ब्याज दरों के प्रकटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये ऋण खातों में दंडात्मक प्रभारों के बारे में शीर्ष बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

इन वर्तमान दिशानिर्देशों के अधीन ऋणदाताओं (विनियमित संस्थाओं/कंपनियों) को दंडात्मक ब्याज दरें वसूल करने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करने की स्वायत्तता प्रदान की गई है। उधारकर्ता द्वारा ऋण संविदा की महत्वपूर्ण शर्तों एवं निबंधनों के गैर-अनुपालन पर दंडात्मक प्रभार लागू होगा, इस रकम को 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं वसूल किया जाएगा अर्थात इसे अग्रिमों पर प्रभारित ब्याज दर में नहीं जोड़ा जाएगा।

इसके भी अतिरिक्त, दंडात्मक प्रभारों की मात्रा यथोचित तथा गैर-अनुपालन के अनुरूप होनी चाहिए। विनियमित संस्थाओं/कंपनियों को ऋण करार में यथा प्रयोज्य अत्यधिक महत्वपूर्ण शर्तों एवं निबंधनों/ मुख्य तथ्यात्मक विवरण में स्पष्ट रूप से प्रकटन भी करना होगा।

सभी वाणिज्ज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपिनयों, आवास वित्त कंपिनयों तथा अखिल भारतीय वित्तीय कंपिनयों को इन नियमों का पालन करना होगा। तथापि, क्रेडिट कार्डों, बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ECBs), व्यापार ऋणों तथा उत्पाद विशिष्ट निदेशों में समाविष्ट संरचित देयताओं को इन दिशानिर्देशों से छूट प्रदान की गई है।

उधारकर्ताओं की सहायता करने हेतु अस्थिर दर वाले ऋण की समीकृत मासिक किस्तों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए

अस्थिर दर वाले वैयक्तिक ऋणों के बारे में उधारकर्ताओं को उपयुक्त सूचना या उनकी सहमित के बिना ऋण परिपक्वता काल (tenor) के दीर्घीकरण अथवा समीकृत मासिक किस्त (EMI) की रकम में वृद्धि के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को कितपय उपभोक्ता परिवाद प्राप्त होते रहे हैं।

शीर्ष बैंक ने इन परिवादों के प्रत्युत्तर में अस्थिर दर वाले ऋणों में समीकृत मासिक किस्त के लिए ब्याज दर को पुनर्निर्धारित करने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। समीकृत मासिक किस्त/परिपक्वता काल अथवा दोनों में किसी प्रकार की वृद्धि के संबंध में उधारकर्ताओं को उपयुक्त माध्यमों/चैनलों के जरिये तत्काल एवं स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

ब्याज दरों के पुनर्निर्धारण के दौरान उधारकर्ताओं को संबंधित विनियमित संस्था/कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार एक स्थिर दर वाले ब्याज को अपनाने का विकल्प दिया जाना चाहिए। उधारकर्ताओं को इस बात से स्पष्ट रूप में अवगत कराया जाना चाहिए कि उन्हें ऋण के परिपक्वता काल के दौरान इस प्रकार के परिवर्तन की सुविधा कितनी बार दी जाएगी।

मूलभूत सुविधा ऋणगत निधि - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक से वर्धित वित्तीयन एवं विनियमनों को सामंजस्यपूर्ण बनाने हेतु संशोधित दिशानिर्देश प्राप्त हुये

मूलभूत सुविधा ऋणगत निधि–गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (IDF-NBFCs) को मूलभूत सुविधा क्षेत्र का वित्तीयन करने में महत्तर भूमिका निभाने तथा मूलभूत सुविधा क्षेत्र के वित्तीयन को अभिशासित करने वाले विनियमनों को सामंजस्यपूर्ण बनाने में उन्हें समर्थ करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके लिए अपने तदनुरूपी दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया है।

कोई मूलभूत सुविधा ऋणगत निधि-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मूलभूत सुविधा परियोजनाओं में दीर्घकालिक ऋण प्रवाह को सुगम बनाने के लिए एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत कंपनी होती है। यह न्यूनतम 5 वर्ष की परिपक्वता वाले रुपया या डॉलर में मूल्यवर्गित बांड जारी कर के संसाधन जुटाती है।

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार अब मूलभूत सुविधा ऋणगत निधि–गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए 300 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि तथा जोखिम-भारित आस्तियों के अनुपात की तुलना में 15% की न्यूनतम पूंजी रखना आवश्यक होगा।

IIBF VISION 3 सितम्बर 2023



इसके पूर्व किसी मूलभूत सुविधा ऋणगत निधि- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए किसी बैंक अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – मूलभूत सुविधा ऋणगत निधि द्वारा प्रायोजित होना आवश्यक था। किन्तु अब इस प्रकार के प्रायोजक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

मूलभूत सुविधा ऋणगत निधि- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के शेयरधारकों की अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए यथा-प्रयोज्य विधि से संवीक्षा (scrutiny) की जाएगी।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक की उद्गम (UDGAM) सुविधा/प्रणाली एकाधिक बैंकों में अदावी जमाराशियों को खोजने में सहायक

बैंकों के पास पड़ी अदावी जमाराशियों की बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक अदावी जमाराशियों का दावा करने की आवश्यकता के बारे में लोगों को सुग्राही बनाने हेतु जन जागरूकता अभियान चला रहा है। इस प्रक्रिया को अधिक आसान बनाने के लिए शीर्ष बैंक ने हाल ही में उद्गम (सूचना प्राप्त करने के लिए अदावी (unclaimed) जमाराशियों का प्रवेश द्वार/गेटवे) नामक एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल की शुरूआत की है।

उद्गम कई एक बैंकों में पड़ी उनकी अदावी जमाराशियों/खातों की पहचान करने अथवा संबन्धित बैंकों में उनके जमा खातों को सिक्रय (operate) करने में प्रयोक्ताओं की सहायता करेगी।

प्रारम्भ में उक्त अन्वेषण सुविधा केवल 7 बैंकों के लिए उपलब्ध है। शेष बचे बैंकों को 15 अक्तूबर, 2023 तक चरणबद्ध रीति से उद्गम की परिधि में ला दिया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़लाइन लेनदेनों की उपरी सीमा बढ़ाकर एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ - लाइट को बढ़ावा देता है कमजोर अथवा इन्टरनेट की किसी प्रकार की सुविधा से वंचित क्षेत्रों में एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ - लाइट (UPI lite) वैलेट के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफ़लाइन भुगतान लेनदेन की उपरी सीमा को वर्तमान 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। हालांकि, किसी भुगतान लिखत के संबंध में आफ़लाइन लेनदेन हेतु कुल सीमा 2,000 रुपए ही बनी हुई है। यूपीआई पर छोटे मूल्य वाले लेनदेनों की गित बढ़ाने, बैंकों के लिए प्रसंस्करण संसाधन को इष्टतम बनाने तथा लेनदेन की विफलताओं को कम करने के लिए एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ - लाइट (UPI lite) की शुरूआत सितंबर, 2022 में की गई थी।

विनियामक के कथन

मूल्य स्थिरता के बिना वृद्धि दीर्घकालिक नहीं हो सकती : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास

वहनीय भविष्य के लिए निर्माण खंड : कुछेक अनुचिंतन (Building Blocks for a sustainable Future : Some Reflection) पर 29वें लिलत दोशी स्मारक व्याख्यान में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शिक्तकान्त दास ने इस बात पर बल दिया कि देश की आर्थिक वृद्धि को अनुरक्षित रखने के लिए मूल्य स्थिरता अनिवार्य होती है। इस बात को रेखांकित करते हुये कि मूल्य स्थिरता के बिना प्राप्त की गई किसी भी वृद्धि का जीवनकाल केवल अल्पकालीन ही होगा श्री दास ने कहा कि स्थूल आर्थिक एवं मौद्रिक नीति में मूल्य स्थिरता को अनुरक्षित रखने, वृद्धि की गित को बनाए रखने तथा वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करते हुये ऋण का पर्याप्त/ यथोचित प्रवाह सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

गवर्नर ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बाह्य स्थिरता को बनाए रख कर तथा लगभग 600 बिलियन अमरीकी डॉलर की विदेशी मुद्रा का प्रारक्षित स्टाक निर्मित करके प्रणालीगत आघात-सहनीयता (resilience) एवं कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु सचेतन प्रयास किया है। इन सुधारों का उद्देश्य बाज़ारों के संवर्गीकरण को समाप्त करना, अनिवासियों सिहत महत्तर अभिगम को सुगम बनाना, सहभागिता के आधार को व्यापक बनाना, नवोन्मेष को बढ़ावा देना तथा ग्राहक संरक्षण सुनिश्चित करना है।



श्री दास कहते हैं कि कृषि, विनिर्माण, सेवा, प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष एवं स्टार्ट अप जैसे कुछेक क्षेत्र सदी के अगले चतुर्थांश में वृद्धि के उल्लेखनीय अवसर प्रदान कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर ने वैश्विक ऋणगत सुभेद्यताओं का मुक्राबला करने हेतु वैश्विक ऋणगत आंकड़ों में हिस्सेदारी पर बल दिया, जोखिम बांटने की वकालत की

वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित वैश्विक अर्थव्यवस्था : चुनौतियाँ, अवसर और आगे का मार्ग शीर्षक पर जी 20 फाइनैन्स ट्रैक नेशनल इवेंट के अंतर्गत सम्पन्न एक संगोष्ठी/सेमिनार में सिर्ष बैंक के गवर्नर ने अपने भाषण में उन उच्च एवं अवहनीय ऋण स्तरों का मुक़ाबला करने के लिए वैश्विक ऋणगत आंकड़ों में हिस्सेदारी वाले प्लेटफार्म पर बल दिया जिन्होंने कई एक देशों की वित्तीय क्षमता को बाधित कर दिया है। वैश्विक स्तर पर सार्वजिनक मालों (public goods) से होने वाले लाभों को स्पष्ट करते हुये श्री दास ने कहा कि जोखिम में हिस्सेदारी वैश्विक सार्वजिनक मालों के लिए निजी वित्तीयन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण डिजाइन तत्व होना चाहिए। बहुपक्षीय विकास बैंक (MDBs) इस प्रयास को और आगे बढ़ाने के लिए जोखिम बांटने वाली व्यवस्था के जिरये निजी क्षेत्र के निवेश को उत्प्रेरित कर सकते हैं।

आर्थिक संवेष्टन

जुलाई, 2023 के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी मासिक आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने जुलाई 2023 की अद्यतन वैश्विक आर्थिक प्रत्याशा (WEO) में वित्त वर्ष 24 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को 20 आधार अंकों (bps) की वृद्धि के साथ (अपनी अप्रैल, 2023 की वैश्विक आर्थिक प्रत्याशा के अनुसार) उसे 5.9 प्रतिशत के स्थान पर बढ़ाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया है।
- वित्त वर्ष 24 की 1ली तिमाही में राज्यों का पूंजीगत व्यय वर्षानुवर्ष 74.3 प्रतिशत बढ़ा, जिससे केंद्र का पूंजीगत व्यय (Capex) उसी तिमाही में बढ़कर 59.1 प्रतिशत हो गया।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि चलनिधि के स्तरों से नीतिगत दर प्रेषण (transmission) व्यवस्था में रुकावट न आए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (I-CRR) में 19 मई, 2023 और 28 जुलाई, 2023 के बीच वाली अवधि में बैंकों की वृद्धिशील निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 10 प्रतिशत की अस्थायी वृद्धिशील वृद्धि कार्यान्वित किया है।
- सेवा क्षेत्र की सुदृढ़ निर्यात वृद्धि और संतुलित निवेश अंतरवाहों के पिरणामस्वरूप भारत के बाह्य/विदेशी क्षेत्र में आघात-सहनीयता (resilience) प्रदर्शित हुई।
- वित्त वर्ष 24 की 1ली तिमाही में मूलभूत सुविधा क्षेत्र को बैंक ऋण पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.7 प्रतिशत अधिक रहा।
- जुलाई, 2023 में भारत के तिजारती निर्यात एवं आयात में वर्षानुवर्ष क्रमश: 15.9 प्रतिशत और 17 प्रतिशत की गिरावट आई।
- 2022 के दौरान भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में पिछले वर्ष के मुक़ाबले 4.7 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।
- भारत में निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) अंतर्वाह वित्त वर्ष 23 के पहले चार महीनों के दौरान 14 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 20.2 बिलियन अमरीकी डालर रहे।
- वित्त वर्ष 2023-24 में एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) में (मूल्य की दृष्टि से) वर्षानुवर्ष वृद्धि 44.2 प्रतिशत रही।

IIBF VISION 5 सितम्बर 2023



विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारिक्षत निधियाँ				
मद	25 अगस्त, 2023 के दिन करोड रुपए	25 अगस्त, 2023 के दिन मिलियन अमरीकी डालर		
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	4916873	594858		
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4358044	527249		
1.2 सोना	366616	44354		
1.3 विशेष आहरण अधिकार	150383	18194		
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	41828	5061		

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

सितंबर, 2023 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	5.30
जीबीपी	5.1853
यूरो	3.652
जापानी येन	-0.055
कनाडाई डालर	5.0100
आस्ट्रेलियाई डालर	4.10
स्विस फ्रैंक	1.70741

मुद्रा	दरें
न्यूजीलैंड डालर	5.5
स्वीडिस क्रोन	3.645
सिंगापुर डालर	3.6930
हांगकांग डालर	1.75636
म्यांमार रुपया	3.00
डैनिश क्रोन	3.2880

स्रोत : www.fbil.org.in

शब्दावली

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) में निवेशकों द्वारा किसी अन्य देश में धारित/रखी गई प्रतिभूतियों एवं अन्य वित्तीय आस्तियों का समावेश होता है। विदेशी पोर्टफोलियो धारिताओं में शेयर (stocks), अमरीकी निक्षेपागार रसीदें (ADRs), बाँड, पारस्परिक निधियां तथा शेयर बाजार में खरीदी-बेची जाने वाली निधियाँ शामिल होती हैं। यह निवेशक को किसी कंपनी की आस्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व नहीं प्रदान करता तथा यह बाजार की अस्थिरता (volatility) के आधार पर अपेक्षाकृत अनिरुद्ध (liquid) होता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

पूंजीगत अभिलाभ कर (CGT)

पूंजीगत अभिलाभ कर एक ऐसा कर होता है जो किसी ऐसे लाभ पर वसूल किया जाता है जिसे किसी निवेशक ने उस समय अर्जित किया हो जब कोई निवेश/पूंजीगत आस्ति बेचा/बेची जाता/जाती है। पूंजीगत आस्ति में भूमि, भवन, शेयर, बांड, आभूषण, सिक्कों के संग्रह तथा स्थावर सम्पदा आदि शामिल होते हैं।

IIBF VISION 6 सितम्बर 2023



संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

सितंबर, 2023 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थान
उच्च तकनीक वाली कृषि परियोजनाओं पर सकेन्द्रण सहित कृषि वित्तीयन पर कार्यक्रम	15 से 16 सितंबर, 2023	
अपने ग्राहक को जानिए (KYC), धन-शोधन निवारण (AML) और आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला (CFT) पर कार्यक्रम	19 से 21 सितंबर, 2023	प्रौद्योगिकी पर आधारित
बैंकों में डिजिटल विपणन एवं सेवा में उत्कृष्टता पर कार्यक्रम	20 से 21 सितंबर, 2023	
प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक हेतु परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	20 से 22 सितंबर, 2023	

संस्थान समाचार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने संयुक्त रूप से जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की शुरूआत की

संस्थान ने जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के साथ एक करार कर रखा है। उक्त पाठ्यक्रम की शुरूआत 23 मई, 2023 को सेंट रेगिस हाल, मुंबई में की गई। यह पाठ्यक्रम ई-शिक्षण (e-learning) के रूप में है जिसमें 4-6 घंटों के शिक्षण के उपरांत एक मूल्यांकन सत्र आयोजित किया जाता है। पाठ्यक्रम की सफल पूर्णाहुति पर इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी - संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या उन्हें अधिक समसामियक, सकल्पनात्मक बनाने तथा महत्तर मूल्य-वर्धन सुनिश्चित करने के लिए पुनरसंरचित एवं संशोधित कर दी गई है। इस संबंध में संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पाठ्यक्रम को संशोधित किए जाने की आवश्यकता पर सदस्यों को एक सदेश भी संबोधित किया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन विषयों, परीक्षा के स्वरूप, उत्तीर्णन की समय-सीमा, उत्तीर्णन मानदंड आदि के बारे में एक विस्तृत सूचना वेबसाइट पर भी डाली गई है। उक्त संक्रमण को अभ्यर्थियों के लिए अधिक अनुकूल बनाने हेतु नयी पाठ्यचर्या में पुरानी पाठ्यचर्या से कुछेक विषयों के लिए श्रेय (credits) दिये जाने की अनुमित दी गई है। संशोधित पाठ्यचर्या के अधीन परीक्षाएँ मई/जून, 2023 और उसके बाद से आयोजित की जाएंगी। संस्थान द्वारा निषेधात्मक (negative) अंक दिये जाने से संबन्धित नियम को आस्थिगित कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स अदावीकृत जमाराशियों और बैंकों के लिए पथ (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निधिक सहायता प्राप्त)

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अदावी जमाराशियों पर एक शोध योजना आरंभ करने का दायित्व सौंपा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स अदावी जमाराशियों का अध्ययन करने तथा कार्रवाई- योग्य सुझाव देने के लिए शोध प्रस्ताव आमंत्रित करता है। इसके लिए बैंकों के पूर्णकालिक नियमित कर्मचारी, महा विद्यालयों/विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्य और अन्य शैक्षिक एवं वित्तीय संस्थाएं आवेदन कर सकते/सकती हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2023 है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

IIBF VISION 7 सितम्बर 2023



संशोधित जेएआईआईबी और सीएआईआईबी परीक्षाओं के लिए छद्म जांच/परीक्षा सुविधा उपलब्ध

संस्थान जेएआईआईबी और सीएआईआईबी परीक्षाओं के संशोधित ढांचे के अधीन सभी विषयों के लिए प्रति विषय 100 रुपए (जोड़िए कर) की नाममात्र दर पर छद्म जांच/परीक्षा (Mock test) सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देख सकते हैं।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

जुलाई - सितंबर, 2023 तिमाही के लिए बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: Digital Disruption – Challenges and Opportunities.

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि


संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने–आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/ दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अविध में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

- (i) संस्थान द्वारा मार्च, 2023 से अगस्त, 2023 तक की अविध के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।
- (ii) संस्थान द्वारा सितंबर, 2023 से फरवरी, 2024 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2023 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।


नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें



स्रोत: एफबीआईएल



स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर







स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अगस्त, 2023



स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, अगस्त, 2023




स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक



स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय



स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.

Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE

Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W),

Mumbai - 400 070. Tel.: 91-22-6850 7000 E-mail: admin@iibf.org.in Website: www.iibf.org.in